कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, अनुभागहरसूद
जिला खण्डवा, (म0प्र0)

क्रमांक/ 1189 /भू–अर्जन/2018 खण्डवा, दिनांक 05/06/2018

प्रति,

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल

विषय :– भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 एव्र 11 के अन्तर्गत क्रमशः अधिसूचना एवं प्रारम्भिक अधिसूचना का शुद्धिपत्र राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

––00––

राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/अ.82/2017–18 में ग्राम बाराकुण्ड तहसील खालवा, जिला खण्डवा की निजी भूमि क्षेत्रफल 193.261 हेक्टर के भू–अर्जन हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक–30, सन् 2013) की धारा–धारा 4 एव्र 11 के अन्तर्गत क्रमशः अधिसूचना एवं प्रारम्भिक अधिसूचना का शुद्धि पत्र के तहत कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना एवं प्रारम्भिक अधिसूचना की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त अधिसूचना एवं प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– 02 प्रतियां।

(जगदीश मेहरा)
अनु–विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन
अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक/ 1190 /भू–अर्जन/2018 खण्डवा दिनांक 05 /6/2018

प्रतिलिपि :–

1– संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियॉं संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित । दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की दो प्रतियॉं इस कार्यालय एवं कार्यालय कलेक्टर खंडवा को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2– कलेक्टर महोदय, (भू–अर्जन शाखा) जिला खण्डवा की ओर अधिसूचना की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

4– तहसीलदार, खालवा की ओर 06 प्रतियॉं संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना पटल, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।

5– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6– जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

अनु–विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन
अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं 102 / एलए./2017/8667

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 03/अ-82/17-18 खण्डवा,दिनांक 04/05/2018

// शुद्धि पत्र अधिसूचना एवं प्रारम्भिक अधिसूचना //

आवंलियॉ मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु ग्राम बाराकुण्ड तहसील खालवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-03/अ-82/17-18 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा.4 के अन्तर्गत अधिसूचना एवं धारा-11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का विहित स्थानो पर प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है। निम्न तालिका के कालम नंबर 03 में उल्लेखित रकबे के स्थान पर कालमनंबर .05 में उल्लेखित रकबा पढा जावे । प्रभावित रकबा कालम नंबर 3 के स्थान पर कालम नंबर 05 में उल्लेखित रकबा संशोधित किया जाता है।

अधिनियम की धारा -4 के अन्तर्गत अधिसूचना(जी0नंबर 23598/18)

स0 क0	प्रकाशन का विहित स्थान	प्रकाशित क्षेत्रफल हैक्टर में	प्रकाशन का दिनांक	संशोधित रकबा हैक्टर में
1	म0प्र0 राजपत्र	195.708	23.02.2018	193.261
2	स्थानीय प्रकाशन	195.708	22.02.2018	193.261
3	स्वदेश समाचार पत्र	195.708	22.02.2018	193.261
4	पत्रिका समाचार पत्र	195.708	23.02.2018	193.261
5	कलेक्टर वेबसाईड	195.708	22.02.2018	193.261

अधिनियम की धारा -11के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना(जी0नंबर 23601/18)

स0 क0	प्रकाशन का विहित स्थान	प्रकाशित क्षेत्रफल हैक्टर में	प्रकाशन का दिनांक	संशोधित रकबा हैक्टर में
1	म0प्र0 राजपत्र	195.708	23.02.2018	193.261
2	स्थानीय प्रकाशन	195.708	22.02.2018	193.261
3	स्वदेश समाचार पत्र,	195.708	22.02.2018	193.261
4	नईदुनियॉ समाचार पत्र	195.708	22.02.2018	193.261
4	दैनिक अवंतिका	195.708	22.02.2018	193.261
5	कलेक्टर वेबसाईड	195.708	22.02.2018	193.261

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 195.708 हे. के स्थान पर 193. 261 हैक्टर पढा जावे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग